न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/475/15

अनुवान– रामावतार बनाम दिनेंश

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

07.06.2018ः–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे दिनांक 27.08.2015 को एकतरफा वकील प्रार्थी सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 262/0.13, 263/0.11, 264/0.16, 265/0.02, 266/0.05, 267/0.05, 268/0.09, 269/010, 270/0.10, 277/0.01 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ की प्रार्थी के हिस्से तक मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को दिनांक 06.11.2015 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत जारी की गई है, तथा प्राथर्ना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगांयत 7 की और से वकालतनामा दिनांक 06.11.2015 को पेश हो चुका है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 8 बाद सूचना उपस्थित न्यायालय नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 से 7 द्वारा बार–बार अवसर दिये जो के बाद भी जवाब पेश नही किया। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2015 से प्रचलन मे है, जिसका निस्तारण आज दिनांक तक नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्राथर्ना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आराजी हाल खसरा नं0 262/0.13, 263/0.11, 264/0.16, 265/0.02, 266/0.05, 267/0.05, 268/0.09, 269/010, 270/0.10, 277/0.01 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 27.08.2015 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई